


जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गोड्डा ।  
(शिक्षक युक्तिकरण कोषांग)

॥ आदेश ॥

प्रधान सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 232/A S Cell, दिनांक 01.06.2018 एवं निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 53 (नि.को.), दिनांक 25.09.2018 द्वारा प्राप्त निदेश के आलोक में शिक्षकों के युक्तिकरण हेतु दिनांक 11.10.2018 से 13.10.2018 तक अधीक्षा के आधार पर शिक्षकों का युक्तिकरण किया गया है ।


शिक्षकों के युक्तिकरण के पश्चात् सूची जिले के वेबसाईड [www.godda.nic.in/notice/announcement](http://www.godda.nic.in/notice/announcement) में अपलोड एवं जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय, गोड्डा के सूचना पट्ट में प्रकाशित की गई है ।

प्रकाशित सूची में किन्हीं शिक्षकों को पारस्परिक स्थानान्तरण/ शेष रिक्त स्थानों के विरुद्ध दिनांक 22.10.2018 के अपराह्न 05:00 बजे तक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गोड्डा के कार्यालय अवधि में या [teacherobjection@gmail.com](mailto:teacherobjection@gmail.com) में मेल के माध्यम से दावा प्रस्तुत कर सकते हैं । उक्त अवधि के पश्चात प्राप्त दावा/आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा ।

  
जिला शिक्षा अधीक्षक,  
गोड्डा । 15/10


ज्ञापांक : ...14.8.7.../डी0आर0डी0ए0, गोड्डा दिनांक : ...15.10.2018.

प्रतिलिपि : शिक्षक युक्तिकरण कोषांग, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गोड्डा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

  
जिला शिक्षा अधीक्षक,  
गोड्डा । 15/10

ज्ञापांक : ...14.8.7.../डी0आर0डी0ए0, गोड्डा दिनांक : ...15.10.2018.

प्रतिलिपि : उपायुक्त, गोड्डा को सादर सूचनार्थ समर्पित ।

  
जिला शिक्षा अधीक्षक,  
गोड्डा । 15/10